चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 16.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 16.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिनांक 06.04.2025 को थाना मानिकपुर में घटित घटना जिसमें एक नाबालिक बच्ची उम्री लगभग 12 वर्ष के साथ बलात्कार जैसी जघन्य घटना को चिन्हित किया गया और जघन्य बलात्कारी को शीघ्र अतिशीघ्र सजा दिलाने का टॉस्क अधीनस्थों को सौपा गया, जिसके अन्तर्गत 06.04.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 45/2025 धारा 74,65(1),115(2),351(2) बीएनएस व ¾(2) पॉक्सो एक्ट की त्वरित विवेचना करते हुए दिनांक 07.04.2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 11.04.2025 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी त्वरित संज्ञान दिनांक 15.04.2025 को लिया गया और निरन्तर साक्ष्य की कार्यवाही कराते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनांक 16.05.2025 को अभियुक्त शारदा कोल पुत्र सिपाहीलाल कोल निवासी ऐलहा बढैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को **25 वर्ष का कठोर कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

न्याय की इस अभूतपूर्व कार्यवाही में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री दुर्गविजय सिंह,विवेचक श्री विनय विक्रम सिंह,वर्तमान प्रभारी निरीक्षक श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभियोजन का पक्ष मजबूती से न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करने में लोक अभियोजक श्री तेज प्रताप सिंह (एडीजीसी) की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार महिला आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री एस0 आनन्द द्वारा आज दिनाँक 16.05.2025 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 212/2021 धारा 279,337 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त आलोक सिंह पुत्र रामसुमेर सिंह निवासी नीबी मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 1500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह पुत्र लालप्रताप सिंह निवासी लाल पट्टी हरवारी लखापुर थाना खीरी जनपद प्रयागराज को 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-
01 अदद तमंचा 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
1.उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय राजापुर
2.उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार
3.आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा

(6).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बहिलपुरवा व थाना मऊ पुलिस टीम ने 02 अभियुक्तों को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब एवं 20 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया।

(1). उ0नि0 श्री प्रभाकर उपाध्याय व उनके हमराही आरक्षी मोनू राय द्वारा अभियुक्त सोनू यादव पुत्र सीताराम निवासी अतरी मजरा चन्द्रमारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(2). उ0नि0 श्री शहनवाज खां थाना मऊ, उ0नि0 ओंमप्रकाश सिंह ,उ0नि0 अंकित सिंह व उनके हमराही आरक्षी राकेश कुमार, आरक्षी बृजेन्द्र राय, आरक्षी चालक संदीप यादव एवं आबकारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार यादव, आबकारी मुख्य आरक्षी अनिल गौतम,आबकारी आरक्षी मोहम्मद अकरम, आबकारी महिला आरक्षी सुमित्रा द्वारा अभियुक्ता सत्यम देवी पुत्री राममगन निवासी ग्राम बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को दो प्लास्टिक की पिपिया में 10-10 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(7).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में थानों पर खड़े वाहनों के निस्तारण के रुप में Operation Clean के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल के पर्यवेक्षण में थाना परिसर कोतवाली कर्वी, चौकी शिवरामपुर में खड़े कुल 106 लावारिस/जब्तशुदा जिसमें 18 चार/तीन पहिया व 88 मोटर साइकिल की नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी जिसके क्रम में सभी वाहनों का सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी चित्रकूट अपने पत्र संख्या 838 /सा0प्र0 /मूल्यांकन आख्या /चित्रकूट दिनाँक 13.02.2025 को मुल्यांकन कराया गया। नीलामी की प्रक्रिया के क्रम में श्रीमान उपजिला मजिस्ट्रेट कर्वी चित्रकूट को रिपोर्ट देकर नीलामी की तिथि निश्चित की गयी और समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराते हुए प्रचार प्रसार कराया गया जिसके क्रम में

आज दिनांक 16.05.2025 को श्री मंगल सिंह यादव नायब तहसीलदार कर्वी,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह , चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री शनि चतुर्वेदी की उपस्थिति में नीलामी की कार्यवाही थाना परिसर में शुरू की गयी जिसमें बोली लगाने हेतु उपस्थित व्यक्तियों के सामने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बोली प्रारम्भ की गयी सभी वाहनो की अन्तिम बोली 2 लाख 28 हजार रु0 बोली गयी जिसे अन्तिम रुप देते हुए कागजात तैयार कर वाहनों को अंतिम बोली दाता को सुपुर्द कर रूकसत किया गया, इस प्रकार थाना कोतवाली कर्वी,चौकी शिवरामपुर में खडे 106 लावारिस/जब्तशुदा वाहनों की नीलामी कार्यवाही पूर्ण की गयी।